वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी

अंक #1 जनवरी –फरवरी 09
सहयोग राशि 2 रु0
(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

प्रवेशांक

संपादक एवं प्रकाशक
चन्दन विश्वकर्मा

मानद संपादक
अमृतांशु

मानद सह संपादक
डा. हेमंत कुशवाहा
विनोद प्रसाद शर्मा
नवीन कुमार यादव

वी.पी.सिंह

क्रांति के उस बीज पुरुष को नमन्

वीपी नहीं रहे। लेकिन उनके होने ओर न होने के बीच जो बारीक रेखा थी उसे यदि किसी ने सबसे ज्यादा समझा तो व थी इस देश की मीडिया और देश का एक खास तबका।

क्रांति के उस बीज पुरूश को नमन् जिसने अपने ऐतिहासिक राजीतिक फैसले का उद्घोश जब 7 अगस्त 1990 को विश्व के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संसद सदन में रखा तो पूरी भारतीय राजनीति में एक भूचाल आ खड़ा हुआ। सारी दुनिया भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को देखने लगी। वो फैसला था – वी.पी.सिंह के शब्दों में : "इस वैभवपूर्ण सदन में सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए आज मैं प्रसन्न हूँ, जिसे मेरी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लिया है।"

"माननीय सदस्यों (MPs) आप जानतें है, 40 साल पहले संविधान अंगीकार करते समय आर्टिकल 340(1), 15(4) और 16(4) के संदर्भ में यह सोचा गया था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान की जाएगी, उनकी तकलीफें दूर होंगी एवं उनकी दशा में सुधार किया जाएगा। यह हमारे संविधान के मूल स्वरूप के प्रति नकार है कि आज तक उनकी ये जरूरते पूरी नहीं हो पायी।"

और इस तरह एक अविस्मरणीय दिन 7 अगस्त 1990 को देश के कद्दावर नेता और प्रधानमंत्री वी.पी.सिंह की सरकार ने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया।

अब इसे अपराध मानो या देश की 62 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी के प्रति सामाजिक न्याय के रास्ते में एक सार्थक कदम। लेकिन यह एक मृत्यु का फरमान था जिसे वीपी ने अपनी ही सरकार के गाल पर लिख दिया था। चंद महीनों में सरकार गिर गई और अपने भी दुश्मन बन गए, गालियां मिली। क्रोध इस बात पर था कि क्यों नहीं इसे भी कुड़े के ढेर में डाले रखा गया जैसे कि 1955 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर कोई कारवाई नहीं की गयी!

लेकिन वीपी अमर हैं। आज वे एक पर्याय हैं, एक प्रतीक हैं और एक ऐसे प्रकाशपुंज है जो हमेशा हम सबके भीतर अनश्वर की तरह विद्यमान रहेगा।

मित्रों, वॉइस ऑफ ओबीसी का प्रवेशांक आपके हाथों में है। बेशक हमारा ध्येय आपको अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़ी उन तमाम सूचनाओं गतिविधियों और नीतियों से रू–ब–रू कराना है जो सामान्यतः आप तक नहीं पहुंच पाती है।

– अमृतांशु

Let there be justice for all. Let there be eace for all. Let there be work, water and salt for all. Leat each know that for each the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves - NELSON MANDELA, Speech, May 10, 1994

"मैं आरक्षण का समर्थन करता हूँ... तमिलनाडु मे 60 वर्षों से आरक्षण है। बेशक वे सफल हुए हैं। मैं अनुभव से जानता हूँ कि दक्षिणी राज्यों में आरक्षण ने बहुत, बहुत, बहुत लोगों को लाभान्वित किया है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ।

– तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम

(CNN-IBN को 11 जून 06 को दिए एक साक्षात्कार से)

क्रीमी लेयर का विचार : पुनरावलोकन

भारतीय संविधान पिछड़े वर्गों का मूल्यांकन उनके "सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन" के आधार पर करता है। 1 जून 1951 को जब लोक सभा में "आर्थिक पिछड़ेपन" को समाहित करने के सुझाव दिए गए थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और कानून मंत्री बाबा साहेब अंबेडकर ने इस सुझाव से असहमति व्यक्त की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मण्डल कमीशन रिपोर्ट के निस्तारण के सिलसिले में पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने के आधार के रूप में जाति को स्वीकार किया था, और नरसिंहा राव सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया था जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

जस्टिस आर.एन.प्रसाद की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय 1 लाख की आय में वेतन एवं कृषि आय को अलग रखकर मूल्यांकन करने की बात कही थी। लेकिन व्यवहार में 1993 से सभी राज्य सरकारों में कार्य करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के वच्चों के लिए ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं निर्गत हो सके क्योंकि जारी कर्ताओं ने इसकी गलत विवेचना कर वेतन एवं कृषि आय को जोड़कर देखा, जिससे वे केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भर्ती से वंचित रह गए।

जस्टिस आर.एन.प्रसाद की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने 1993 में दी गई अपनी रिपोर्ट में आय की सीमा 1 लाख को प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्निधारित करने की बात कही थीं। इस आधार पर 1996, 1999, 2002, 2005 और 2008 में आय की सीमा का पुर्नर्निधारण होना चाहिए था, परन्तु अब तक 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी सिर्फ दो बार वर्ष 2004 एवं वर्ष 2008 में हो सका है।

सुप्रीम कोर्ट ने सन् 1993 में मंडल कमीशन एवं सन् 2007 में शिक्षा विधेयक की सुनवाई के समय क्रीमी लेयर के स्वरूप को सामने रखा अन्यथा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में क्रीमीलेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। यह विडम्बना है कि 3 अक्टूबर 2008 को जब यूपीए सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा 2.50 लाख से 4.50 लाख किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, ठीक इसके बाद सरकार के इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गयी। क्या यह समानता के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है । क्रमशः...

"Freedom would be meaningless without security in the home and in the streets"
- NELSON MANDELA, Speech, April 27, 1995

आई.आई.टी और आई.आई.एम जैसे संस्थान बंद कर दिये जाने चाहिए...

– कांचा इलिया

सरकार का यह प्रस्ताव कि 27 प्रतिशत सीटें उनके लिए आरक्षित हों जिन्होंने ओबीसी कोटे के अंतर्गत आवेदन किया है, कार्पोरेट जगत एवं छात्रों के बीच अचानक एक बहस का विशय बन गया। अधिकांशतः इसमें राजनैतिक अवसरवाद की बू थी। लेकिन इस बहस का दूसरा पहलू भी है। DNA के साथ देश के एक दलित विचारक एवं Why I am not a Hindu ? के लेखक कांचा इलिया की दिपायन हलदर से विशेष साक्षात्कार के अंश :

आई.आई.टी और आई.आई.एम देश के सफल ब्रांड हैं, और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। यदि मंडल प्रतिभा को रिप्लेस करता है तो क्या इससे इन संस्थानों की ख्याति प्रभावित नहीं होगी ?

हमें आई.आई.टी और आई.आई.एम को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये देश के उच्च वर्ग (Upper Caste Economy) के लोगों की सेवा करतें हैं। जो लोग यहां से निकलते हैं वे अपनी तकनीकि एवं प्रशासनिक योग्यता का उपयोग विदेशों में डालर कमाने के लिए करते हैं। क्या वे अपनी योग्यता का उपयोग देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए करते हैं ?

लेकिन क्या इससे विपरीत भेदभाव नहीं होगा ? प्रायः समझा जाता है कि दूसरों की अपेक्षा गलत तरीके से लाभ मिलता है इसलिए कोटा अभ्यर्थियों के लिए काफी क्रोध होता है।

The Shape of River नामक किताब में विलियम (जी), बोवेन और डिरेक (कर्टिस) बॉक ने लिखा है कि यूएस छात्रों में ज्यादा जातीय भेदभाव है। आज सकारात्मक कदमों की वजह से यूएस में काले लोगों का प्रवेश शिक्षा, रोजगार एवं राजनीति व्यवस्था में सुनिश्चित होता जा रहा है वहां आम जनता में कोई विरोधात्मक क्रोध नही है। दूसरी तरफ भारत में एससी/एसटी और ओबीसी के लिए कोई प्रजातांत्रिक स्थान है। यह कदम लंबे समय से अपेक्षित है।

लेकिन यूएस रणनीतिकार भी आरक्षण के समर्थन में नहीं हैं। क्या जाति आधारित आरक्षण के अलावा और कोई सकारात्मक व्यवस्था नौकरी और शिक्षा में नहीं हो सकती ?

आरक्षण नितांत आवश्यक है। लेकिन और दूसरे सकारात्मक कार्य भी होने चाहिए। आजादी के बाद हमारी सरकारें नि ुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक वायदा भी नहीं पूरा कर सकी। दलितों, पिछड़ों के लिए बहुतायत में अंग्रेजी भाषा के प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। निजी संस्थानों में भी आरक्षण होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही हम सड़कों पर जाएगें।

अन्ततः क्या ये आरक्षण ओबीसी छात्रों को लाभान्वित करेगा ?ऐसे कई उदाहरण है जहां शिक्षण संस्थानों के स्तरीयता के दवाब में कोटा छात्र अपनी पढाई बीच में ही छोड़ देते हैं।

यह गलत है। जब आप कहते हैं कि पिछड़ी जातियों के छात्र स्तरीय नहीं है, ऐसे में आपका जातीय भेदभाव झलकता है। जब मैं उस्मानिया विश्वविद्यालय में राजनीति भाास्त्र का विभागाध्यक्ष था, एक दलित छात्र ने सर्वोच्च अंक अर्जित किया था। अन्य पिछड़े वर्गो के छात्र हमेशा ही प्रीमियर संस्थानों में भेदभाव के शिकार होते रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वे अवांक्षित है। यदि उन्हें भी सकारात्मक और समान अवसर प्रदान किए जाए तो वे भी औरों जैसा ही प्रदर्शन करेगें।

अनुवाद : डा. हेमंत कुशवाहा

Our best wishes for this bimonthly Hindi Magzine ...

All India Federation of Other Backward Classes Employees Welfare Association

Gereral Secretary : G. Karunanidhy, Mob. : 09381007998

Do not wait for leaders, do it alone, person to person - " Mother Teresa"

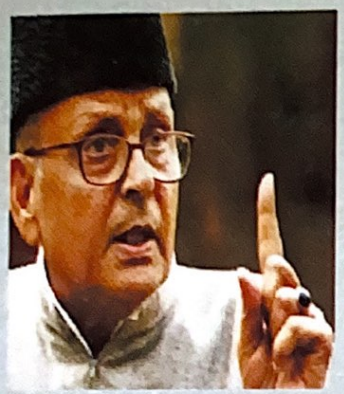

.....गेंद को किक करने में संभव है मैंने अपने पैर तोड़ लिए हों, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मैंने गोल कर दिया है। आज सामाजिक न्याय पूरी तरह से राष्ट्रीय एजेंडे में है। मेरे लिए यह आत्मसंतोष की बात है।

.....लेकतंत्र केवल एक बैलेट बॉक्स और सरकार नहीं है। यदि किसी के सर पर किसी का जूता हो तब लोकतंत्र कहां है ?

– मंडल कमीशन को लागू करने के संबंध में बोलते हुए।
साभार – हार्वड विश्वविद्यालय में
वी.पी.सिंह द्वारा दिए गए व्याखयान सें

सामाजिक न्याय के अग्रदूत
श्री वी.पी.सिंह
को हमारी श्रद्धांजलि

अखिल भारतीय यूनियन बैंक पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारी कल्याण संघ

अध्यक्ष	महासचिव	संगठन मंत्री	कोषाध्यक्ष	सचिव
रवीन्द्र राम	जी. करुणानिधि	जे. अशोकन	एम. आनंदन	अमृतांशु

पत्रिका में छपे विचार, लेख लेखकों के व्यक्तिगत हैं। समस्त वाद विवादो का निपटारा वाराणसी न्यायालय के अंतर्गत मान्य होगा।
मुद्रक : प्रतीक प्रिंटर, वाराणसी

For internal circulation only, the magazine is published by Shri Chandan Vishwakarma, NARAYAN VILA, Om Nagar Colony, SA. 6/1-160AB, Lane No. 6, Benipur, Paharia, Varanasi-221007. Tel . : 0542-2405583, Mob. : 9415392194